


फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी गुकाम केकड़ी
श्रीमति सुवा देवी पत्नि रामेश्वर जाट बनाम राजस्थान सरकार जरिये तह0 केकड़ी
निवासी ग्राम नायकी तहसील केकड़ी
वाद पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

प्रकरण संख्या 9 / 2021()

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
01.02.2021	<p>पत्रावली तहसीलदार केकड़ी की और से वाद जाँच होकर प्राप्त हुई है। तहसीलदार केकड़ी के पत्रांक/भूअ./2020/224 दिनांक 08.01.21को प्रस्तुत की है, प्रकरण की जाँच की गई। जिससे प्रकरण अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट के तहत पाया जाता है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम नायकी के खाता संख्या 489,192,437 में दर्ज खातेदार ना.बा.संजय पुत्र श्योकरण संरक्षक सरपरस्त माता सुवा देवी पत्नि श्योकरण कौम जाट,सुवादेवी पत्नि श्योकरण के नाम दर्ज रेकार्ड है। ग्राम नायकी के निवासी रामेश्वर पुत्र काना व श्योकरण पुत्र काना एक ही व्यक्ति था जिसे दो नामों से जाना जाता था,मुताबिक जमाबंदी में नामान्तरकरण के समय सुवादेवी पत्नि श्योकरण व संजय पुत्र श्योकरण कौम जाट दर्ज हो गया था। तहसीलदार केकड़ी ने पटवारी हल्का एवं भू0अभिलेख निरीक्षक के आधार पर ग्राम नायकी के खाता संख्याप 489,198व 437 में दर्ज खातेदार सुवादेवी पत्नि श्योकरण व संजय पुत्र श्योकरण के स्थान पर सुवादेवी पत्नि रामेश्वर व संजय पुत्र रामेश्वर दर्ज किया जाना उचित बताया है।</p> <p>मैंने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, मृतक रामेश्वर की पत्नि प्रार्थीयां सुवा पत्नि रामेश्वर उर्फ सोकरण(श्योकरण), मृतक रामेश्वर के पुत्र संजय पुत्र रामेश्वर,मृतक रामेश्वर के भाई पोखर पुत्र काना व हंसराज पुत्र काना तथा दो ग्राम नायकी के निवासी – रामनारायण पुत्र जगदीश जाट निवासी नायकी व भँवरलाल पुत्र जगन्नाथ जाति गूर्जर निवासी नायकी के शपथ पत्र नोटेरी से तस्दीक शुदा प्रस्तुत किये हैं, प्रार्थीयां एवं उसके पुत्र के द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड में पति,पुत्र के नाम में रामेश्वर का नाम लिखा गया है। बैंक आफ बडौदा शाखा जूनिया के बचत खाता संख्या 13560500000854का अवलोकन किया गया,इसमें रामेश्वर उर्फ शोकरण लिखा हुआ है। मृतक रामेश्वर के पुत्र संजय की बैंक</p>	



(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

(2)

ऑफ बड़ौदा जूनियां के खाते की पास बुक व ड्राईविंग लाईसैस की छाया प्रति मे भी पिता का नाम रामेश्वर दर्ज है। मृतक रामेश्वर पुत्र काना का मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत किया गया है। तथा अन्य ग्राम अम्बापुरा(जूनिया)तहसील केकड़ी की जमाबंदी संवत् 2072-75 के खाता संख्या नया पुराना 105-98,106-99 जिसमे प्रार्थीयां का नाम सुवा पत्नि रामेश्वर दर्ज किया हुआ है। मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 06.09.2002 जो रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीयन ग्राम पंचाचत लसाड़िया द्वारा जारी किया गया है, मे भी मृतक का नाम रामेश्वर पुत्र काना जाट दर्ज है। तहसीलदार केकड़ी की रिपोर्ट के साथ भू0अ0निरीक्षक जूनिया तथा पटवारी हल्का धुवालिया द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का अवलोकन किया। उन्होने भी स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि नायकी के खाता संख्या 489,198,437मे दर्ज खातेदार सुवादेवी पत्नि श्योकरण के स्थान पर सुवादेवी पत्नि रामेश्वर व संजय पुत्र रामेश्वर दर्ज किया जाने की अनुशंषा की है।

उपरोक्त सभी प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार केकड़ी की रिपोर्ट का गहन अध्ययन व विवेचन के पश्चात प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात के साथ जमाबंदी वाकै ग्राम नायकी के खाता संख्या 192,494का अवलोकन किया जाने पर पाया गया कि इनमे भी प्रार्थीयां सुवा पत्नि सोकरण,संजय पुत्र सोकरण दर्ज किया हुआ है,प्रार्थीयां के प्रार्थना पत्र की तहसीलदार द्वारा समग्र रूप से जाँच नहीं की है जो उचित नहीं है। जबकि प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत ग्राम नायकी स्थित प्रार्थीयां की भूमि के समस्त खाता संख्या 489,192,437,494 मे नाम सही किया जाने हेतु प्रार्थीयां ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः तहसीलदार केकड़ी ग्राम नायकी के खाता संख्या 489,192,437,494मे दर्ज खातेदार सुवादेवी पत्नि श्योकरण व संजय पुत्र श्योकरण के स्थान पर सुवादेवी पत्नि रामेश्वर व संजय पुत्र रामेश्वर दर्ज किया जावे। बाकी इन्द्राज बदस्तूर रहेगे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

